

**अध्याय IV**  
**राजस्व क्षेत्र**  
**अनुपालन लेखापरीक्षा**



## अध्याय IV

### अनुपालन लेखापरीक्षा (राजस्व क्षेत्र)

#### क. सामान्य

#### 4.1 कर प्रशासन

##### 4.1.1 बिक्री कर/ मूल्य वर्धित कर/ वस्तु एवं सेवा कर

बिक्री कर/ मूल्य वर्धित कर/ वस्तु एवं सेवा कर सरकारी स्तर पर, सरकार के प्रधान सचिव, वित्त विभाग द्वारा शासित किए जाते हैं। राज्य के कर विभाग के समग्र नियंत्रण और पर्यवेक्षण का कार्य राज्य कर आयुक्त को सौंपा गया है। तीन अपर आयुक्तों (जम्मू एवं कश्मीर डिवीजन प्रत्येक के लिए एक तथा एक कर योजना के लिए), 19 उपायुक्तों (जम्मू: 09; कश्मीर: 08 तथा मुख्यालय: 01 एवं न्यायिक मामले: 01) तथा 10 सहायक आयुक्तों (जम्मू: 05 कश्मीर: 05) द्वारा राज्य कर आयुक्त के कार्यों में सहयोग किया जाता है। राज्य को 63 राज्य करों के सर्किलों (जम्मू 30; कश्मीर 33) में बांटा गया है, प्रत्येक की अध्यक्षता एक राज्य कर अधिकारी द्वारा की जाती है।

##### 4.1.2 राज्य उत्पाद शुल्क

जम्मू और कश्मीर राज्य उत्पाद शुल्क विभाग, जम्मू और कश्मीर उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1901 और इसके तहत बनाए गए नियमों के अंतर्गत उत्पाद शुल्क लगाने के लिए उत्तरदायी है। विभाग की अध्यक्षता उत्पाद शुल्क और कराधान आयुक्त द्वारा की जाती है, जिन्हें पांच उप उत्पाद शुल्क आयुक्तों (जम्मू: 04; कश्मीर: 01) और 16 उत्पाद शुल्क और कराधान अधिकारियों (जम्मू: 10; कश्मीर: 06) द्वारा कार्यों में सहयोग प्रदान किया जाता है। राज्य में 20 डिस्टिलरी/ बॉटलिंग प्लांट हैं जो उत्पाद शुल्क तथा कराधान अधिकारी, डिस्टिलरीज, जम्मू के अधिकार क्षेत्र में आते हैं।

##### 4.1.3 वाहनों पर कर

परिवहन विभाग से प्राप्तियों को केंद्र तथा राज्य मोटर वाहन अधिनियमों तथा उसके तहत बनाए गए नियमों के अंतर्गत विनियमित किया जाता है तथा यह परिवहन आयुक्त के प्रशासनिक नियंत्रण में है।

#### 4.2 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष 2018-19 के दौरान राज्य कर/ राज्य उत्पाद शुल्क, परिवहन और विधि विभागों की कुल 398 इकाइयों में से 54 इकाइयों के अभिलेखों की नमूना जांच से, 502

मामलों में ₹900.11 करोड़ के राजस्व के अवनिर्धारण/ कम उदग्रहण का पता चला, जैसा कि तालिका 4.1 में वर्णित है।

तालिका 4.1: लेखापरीक्षा के परिणाम

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	श्रेणियाँ	मामलों की संख्या	राशि
<b>बिक्री कर, व्यापार/ वीएटी आदि</b>			
1.	कर का अवनिर्धारण	20	3.50
2.	बिक्री/ खरीद के छिपाव के कारण कर अपवंचन	280	58.95
3.	इनपुट कर क्रेडिट की अनियमित/ गलत/ अधिक अनुमति	39	2.93
4.	अन्य अनियमितताएं	60	687.92
	<b>कुल</b>	<b>399</b>	<b>753.30</b>
<b>राज्य उत्पाद शुल्क</b>			
1.	उत्पाद शुल्क की कम / गैर-वसूली	1	0.01
2.	लाइसेन्स शुल्क/ ब्याज/ जुर्माने की कम/ गैर-वसूली	12	13.43
3.	पथकर के संग्रहण की कम उगाही	3	0.09
4.	अन्य अनियमितताएं	14	1.33
	<b>कुल</b>	<b>30</b>	<b>14.86</b>
<b>मोटर वाहन कर</b>			
1.	टोकन कर की कम/ गैर-वसूली	9	15.42
2.	यात्री व वस्तु कर की कम/ गैर-वसूली	29	39.35
3.	अन्य अनियमितताएं	35	77.18
	<b>कुल</b>	<b>73</b>	<b>131.95</b>
	<b>कुल योग</b>	<b>502</b>	<b>900.11</b>

वर्ष 2018-19 के दौरान विभाग ने विभिन्न प्राप्ति शीर्षों<sup>1</sup>, जो पिछले वर्षों की लेखापरीक्षा में इंगित किए गए थे, के अंतर्गत ₹1.55 करोड़ के राजस्व की वसूली की।

<sup>1</sup> बिक्री, व्यापार पर कर/ वीएटी इत्यादि: ₹1.54 करोड़; स्टाम्प तथा पंजीकरण शुल्क: ₹1.00 लाख।

## ख. अनुपालन लेखापरीक्षा

### 4.3 इस अध्याय की कवरेज

प्रतिवेदन के इस राजस्व अध्याय में ₹2.03 करोड़ के राजस्व निहितार्थ को शामिल करते हुए इनपुट टैक्स क्रेडिट की अनियमित अनुमति के कारण कम मांग, कर छूट की अनियमित स्वीकृति, खरीदों के छिपाव तथा सरकारी धन के दुर्विनियोजन इत्यादि से संबंधित पाँच पैराग्राफ सम्मिलित हैं। विभागों/ सरकार ने ₹2.03 करोड़ के मूल्य की लेखापरीक्षा टिप्पणियों को स्वीकार कर लिया है, जिनमें से ₹13.02 लाख की वसूली की जा चुकी है।

## वित्त विभाग

### (राज्य कर विभाग)

### 4.4 खरीदों के छिपाव के कारण कर की कम उगाही

निर्धारण प्राधिकारी का डीलर का आंकलन करते समय कुल कारोबार के छिपाव को पहचानने में असफल होने का परिणाम ₹17.67 लाख के कम कर, ब्याज और जुर्माने की उगाही के रूप में हुआ।

जम्मू एवं कश्मीर सामान्य बिक्री कर अधिनियम, 1962 की धारा 7 तथा उसके तहत बनाए गए नियम प्रावधान करते हैं कि प्रत्येक डीलर उस ढंग से अपने कुल कारोबार के रिटर्न को प्रस्तुत करेगा जैसा कि अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित किया जाए। इसके अतिरिक्त, यदि एक डीलर कुल कारोबार के गलत विवरणों को प्रस्तुत करता है या अपने कुल कारोबार को छिपाता है, तो निर्धारण प्राधिकारी (एए) ऊपर उल्लिखित अधिनियम की धारा 8(8) और 17(1)(एफ) के अंतर्गत डीलर को देय कर के अतिरिक्त, त्रुटि की अवधि हेतु दो प्रतिशत प्रतिमाह की दर से ब्याज तथा जुर्माना, जो कर की राशि जिससे बचा जाना था, से कम नहीं हो, परंतु ऐसे कर की राशि के दोगुने से अधिक न हो, के भुगतान के लिए निर्देश देगा।

वाणिज्यिक कर सर्किल 'एच' श्रीनगर के अभिलेखों की संवीक्षा (दिसंबर 2014/ मई 2019) से पता चला कि वित्तीय वर्ष 2009-10 हेतु एए द्वारा एक डीलर<sup>2</sup> का आंकलन ₹34.99 लाख के कुल कारोबार की वृद्धि के पश्चात् ₹6.04 करोड़ के कर योग्य कुल कारोबार पर किया गया (मार्च 2014) था। तथापि, डीलर द्वारा उसके तिमाही रिटर्न सहित फाइल किए गए अंतरराज्यीय खरीद विवरणों और सी-फॉर्म उपभोग विवरणों से पता चला कि डीलर द्वारा अपने लेखाओं में ₹43.15 लाख की

<sup>2</sup> निर्माण/ विद्युत कार्य संविदाओं में डीलिंग।

अंतरराज्यीय खरीदों की गणना नहीं की गई थी जिससे ₹86.29 लाख<sup>3</sup> के कुल बिक्री कारोबार के छिपाव का मार्ग प्रशस्त हुआ। अतः डीलर ने जम्मू एवं कश्मीर सामान्य बिक्री कर अधिनियम, 1962 तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों का उल्लंघन किया था तथा उसे अधिनियम की धारा 8 (8) और 17 (1) के तहत निर्धारित किए गए कर, ब्याज और जुर्माने का भुगतान करना आवश्यक था। निर्धारण प्राधिकारी ने मामले का निर्धारण करते समय, ₹86.29 लाख के कुल कारोबार के छिपाव के प्रति कुल कारोबार को ₹34.99 लाख तक बढ़ा दिया। निवल छिपाया गया कुल कारोबार ₹51.30 लाख था, जिसके लिए डीलर ₹17.67 लाख<sup>4</sup> के कर, ब्याज और जुर्माने के भुगतान हेतु उत्तरदायी था।

इसे इंगित किए जाने पर (दिसंबर 2014), निर्धारण प्राधिकारी ने डीलर का पुनर्मूल्यांकन (दिसंबर 2018) किया और ₹16.72 लाख<sup>5</sup> की मांग उठाई। आगे यह भी कहा गया (दिसंबर 2019) कि मांग उपायुक्त वसूली प्रभाग कश्मीर को भेजी (मई 2019) गई है। तथापि, वसूली की प्रगति प्रतीक्षित (सितंबर 2020) थी।

यह मामला नवंबर 2019 में सरकार/ विभाग को भेजा गया था; उनका जवाब प्रतीक्षित (सितंबर 2020) था।

#### 4.5 कर छूट की अनियमित स्वीकृति के कारण ब्याज और कर की कम मांग

निर्धारण प्राधिकारी वाणिज्यिक कर सर्किल I और II, ऊधमपुर द्वारा, दो औद्योगिक इकाइयों जिन्होंने वर्ष 2010-11 और 2013-14 के दौरान ₹12.32 लाख की खरीदों को छिपाया था, को अनियमित कर छूट की अनुमति का परिणाम ₹26.22 लाख की कम मांग के रूप में हुआ।

जम्मू एवं कश्मीर मूल्य वर्धित कर (जेकेवीएटी) अधिनियम, 2005 की धारा 79-ए द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सरकार ने लघु, मध्यम एवं वृहत् पैमाना औद्योगिक इकाइयों के संबंध में कर की छूट हेतु एक अधिसूचना (मार्च 2006) जारी की थी जिसकी स्वीकृति कुछ शर्तों के अधीन दी जानी थी। इन शर्तों में उपबंधित था कि कर-छूट प्राप्त करने के लिए औद्योगिक इकाई औपचारिक रूप से पंजीकृत<sup>6</sup> होनी चाहिए, इसे विहित प्रपत्रों में कर छूट के दावों को प्रस्तुत करना चाहिए, संयंत्र,

<sup>3</sup> डीलर द्वारा उसके व्यापार लेखा में घोषित किए गए अनुसार 100 प्रतिशत की दर पर भाड़ा, लाभ व अन्य प्रभार सम्मिलित हैं।

<sup>4</sup> कर: ₹4.31 लाख; अप्रैल 2010 से दिसंबर 2018 तक ब्याज: ₹9.05 लाख; जुर्माना: ₹4.31 लाख।

<sup>5</sup> कर: ₹4.35 लाख; ब्याज: ₹8.02 लाख; जुर्माना: ₹4.35 लाख।

<sup>6</sup> उद्योग एवं वाणिज्य विभाग/ हस्तशिल्प/ हथकरघा निदेशालय के साथ और वाणिज्यिक कर विभाग के साथ भी।

उपकरण, कच्ची सामग्री, उत्पादन एवं वस्तुओं की बिक्री इत्यादि सहित वस्तुओं की खरीदों के सही और नियमित लेखाओं का अनुरक्षण करना, राज्य के स्थायी निवासियों को रोजगार उपलब्ध करवाना चाहिए। इसके अलावा, इकाई को इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा नहीं करना चाहिए और किसी भी मामले में वह राज्य के बाहर से तैयार उत्पाद की अधिप्राप्ति नहीं करेगी एवं जो भी हो, पंजीकरण प्रमाण-पत्र में किए गए उपबंध के अलावा, किसी भी ढंग से कच्ची सामग्री का निपटान नहीं करेगी। कोई भी औद्योगिक इकाई जो जेकेवीएटी अधिनियम, 2005 की धारा 66(6), धारा 67, धारा 69(1)(एफ), धारा 69(1)(जी), धारा 69 (1)(एच), धारा 69(1)(के), धारा 69(1)(आई) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट अपराध की दोषी पाई गई, वह उस वर्ष के लिए जिसके दौरान यह अपराध किया गया था, कर छूट हेतु हकदार नहीं थी।

I. राज्य कर सर्किल-I, ऊधमपुर के अभिलेखों की संवीक्षा<sup>7</sup> (मई 2014) से पता चला कि एक औद्योगिक इकाई<sup>8</sup> को वर्ष 2013-14 की प्रथम व द्वितीय तिमाही हेतु, क्रमशः 23 अक्टूबर 2013 तथा 27 जनवरी 2014 को आंकलित, ₹7.45 लाख<sup>9</sup> के कर छूट की अनुमति प्रदान (अक्टूबर 2013 तथा जनवरी 2014) की गई थी। तथापि, डीलर द्वारा वीएटी-65 फॉर्मों सहित फाइल किए गए खरीद विवरण की क्रॉस चेक से प्रकट हुआ कि डीलर द्वारा खरीद विवरण में वर्ष 2013-14 की प्रथम व द्वितीय तिमाही के दौरान की गई ₹3.54 लाख<sup>10</sup> की खरीदों की गणना नहीं की गई थी। डीलर, इस प्रकार जेकेवीएटी अधिनियम, 2005 की धारा 69(1)(एफ) के अंतर्गत अपराध का दोषी था तथा कर छूट के लिए हकदार नहीं था। निर्धारण प्राधिकारी उपर्युक्त अवधि हेतु छूट आदेशों को पारित करते समय खरीदों के छिपाव पर ध्यान देने में असफल रहा जिसका परिणाम कर की अनियमित छूट और ₹18.22 लाख<sup>11</sup> के ब्याज और जुर्माने को शामिल करते हुए कर की कम उगाही के रूप में हुआ।

लेखापरीक्षा में इसे (मई 2014/ अक्टूबर 2019) इंगित किए जाने पर, निर्धारण प्राधिकारी ने इकाई का पुनर्मूल्यांकन (मार्च 2019/ जनवरी 2020) किया तथा

<sup>7</sup> वर्ष 2013-14 के दौरान आंकलित 224 मामलों में से 55 मामलों की लेखापरीक्षा नमूना-जांच की गई।

<sup>8</sup> सीमेन्ट के विनिर्माण में डीलिंग।

<sup>9</sup> प्रथम तिमाही: ₹3.21 लाख; द्वितीय तिमाही: ₹4.24 लाख।

<sup>10</sup> प्रथम तिमाही: ₹3.31 लाख; द्वितीय तिमाही: ₹0.23 लाख।

<sup>11</sup> कर: ₹0.21 लाख; ब्याज: ₹0.27 लाख और छिपाए हुए कुल कारोबार पर जुर्माना: ₹0.42 लाख और ₹7.45 लाख की अनियमित कर छूट तथा उस पर ₹9.87 लाख का ब्याज।

औद्योगिक इकाई के प्रति मार्च 2019 तथा जनवरी 2020 में ₹18.74 लाख<sup>12</sup> की मांग उठाई। तथापि, वसूली की प्रास्थिति प्रतीक्षित (सितंबर 2020) थी।

यह मामला अप्रैल 2020 में सरकार/ विभाग को भेजा गया था; उनके जवाब प्रतीक्षित (सितंबर 2020) थे।

II. वाणिज्यिक कर सर्किल-II, ऊधमपुर के अभिलेखों की नमूना-जांच (अगस्त 2017) से पता चला कि एक औद्योगिक इकाई<sup>13</sup> ने वर्ष 2010-11 के दौरान ₹8.78 लाख की खरीदों को छिपाया था तथा वह जेकेवीएटी अधिनियम, 2005 की धारा 69(1)(एफ) के तहत अपराध की दोषी थी। निर्धारण प्राधिकारी ने कर हेतु औद्योगिक इकाई का आंकलन करते समय वर्ष 2010-11 के दौरान छिपाये गए कुल कारोबार पर ₹2.27 लाख<sup>14</sup> की मांग (फरवरी 2017) उठाई। तथापि, निर्धारण प्राधिकारी ने वर्ष 2010-11 हेतु ₹3.09 लाख के कर छूट को अनुमति दी थी जो कि अनियमित थी और इसका परिणाम ₹8.00 लाख<sup>15</sup> के कर और ब्याज की कम उगाही के रूप में हुआ।

लेखापरीक्षा में इसे इंगित किए जाने पर (अगस्त 2017), निर्धारण प्राधिकारी ने कर हेतु इकाई का पुनर्मूल्यांकन (अप्रैल 2018) किया तथा ₹10.80 लाख<sup>16</sup> की मांग उठाई। आगे यह भी कहा गया (जनवरी 2020) कि डीलर ने क्षमा हेतु आवेदन किया है, ₹3.61 लाख के मूल कर का भुगतान किया तथा ब्याज और जुर्माना छूट प्राप्त रहे।

जवाब तर्कसंगत नहीं है क्योंकि डीलर ने कर हेतु प्रभार योग्य कुल कारोबार को छिपाया, जिसके परिणामस्वरूप सृजित मांग क्षमा योजना की परिधि से बाहर थी।

मामला जुलाई 2019 में सरकार/ विभाग को भेजा गया था; उनके जवाब प्रतीक्षित (सितंबर 2020) थे।

सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए कि अनुमत्य छूटों को ही अनुमति प्रदान की गयी है और डीलर, जिन्होंने इस प्रकार की छूटों का अनियमित रूप से लाभ लिया है, से ब्याज एवं जुर्माने की वसूली की गयी है।

<sup>12</sup> कर: ₹7.66 लाख; ब्याज: ₹10.66 लाख; जुर्माना: ₹0.42 लाख।

<sup>13</sup> जूट बैग के विनिर्माण में डीलिंग।

<sup>14</sup> कर: ₹0.52 लाख; ब्याज: ₹0.72 लाख; जुर्माना: ₹1.03 लाख।

<sup>15</sup> कर: ₹3.09 लाख; ब्याज: ₹4.91 लाख।

<sup>16</sup> छूट के निरस्तीकरण के कारण कर: ₹3.09 लाख; अंतरराज्यीय खरीदों को छिपाने के कारण कर: ₹0.52 लाख, ब्याज: ₹6.16 लाख; जुर्माना: ₹1.03 लाख।

#### 4.6 इनपुट टैक्स क्रेडिट की अनियमित अनुमति के कारण कम मांग

निर्धारण प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर सर्किल-II, ऊधमपुर तथा सर्किल 'एल' जम्मू के डीलरों द्वारा उनके पंजीकरण प्रमाण-पत्र की निलंबन अवधि के दौरान की गई खरीदों पर दावा किए गए इनपुट टैक्स क्रेडिट की अनुमति नहीं देने की विफलता का परिणाम ₹1.26 करोड़ की कम मांग के रूप में हुआ।

जम्मू एवं कश्मीर मूल्य वर्धित कर (जेकेवीएटी), 2005 की धारा 27 (7) उपबंध करती है कि जब कोई डीलर जिसे पंजीकरण प्रमाण-पत्र दिया गया है, अधिनियम के अंतर्गत कोई रिटर्न प्रस्तुत करने में असफल रहता है या कोई कर, जुर्माना या देय ब्याज का भुगतान करने में असफल रहता है, तो इस प्रकार के डीलर का पंजीकरण प्रमाण-पत्र निर्धारित प्राधिकारी द्वारा निलंबित कर दिया जाए। उपर्युक्त अधिनियम की धारा 27 (8) प्रावधान करती है कि सभी करों के भुगतान के साक्ष्य प्रस्तुत करने और निलंबन से 90 दिनों के अंदर ओवरड्यू रिटर्न को प्रस्तुत करने के उपरांत डीलर द्वारा आवेदन करने पर पंजीकरण प्रमाण-पत्र का निलंबन वापिस ले लिया जाएगा तथा पंजीकरण प्रमाण-पत्र पुनः स्थापित किया जाएगा। उस अवधि के दौरान जिसमें एक डीलर का पंजीकरण प्रमाण-पत्र निलंबित रहता है, वह उस किसी भी लाभ का हकदार नहीं होगा, एक डीलर जिसका पंजीकरण प्रमाण-पत्र प्रभावी रहता है, हकदार होता है। डीलर वीएटी अधिनियम, 2005 की धारा 51(4) व 69(1)(एम) के तहत उस अवधि के लिए जिसके अंतर्गत उसका पंजीकरण प्रमाण-पत्र निलंबनाधीन था, जान-बूझकर इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा करने के लिए ब्याज और जुर्माने के भुगतान हेतु उत्तरदायी होता है।

I. वाणिज्यिक कर सर्किल II, ऊधमपुर के अभिलेखों की संवीक्षा (अगस्त 2017) से पता चला कि वर्ष 2012-13 की तीसरी तिमाही हेतु तिमाही रिटर्न को फाइल नहीं करने के कारण, एक डीलर<sup>17</sup> का पंजीकरण प्रमाण-पत्र निर्धारण प्राधिकारी द्वारा 30 अप्रैल 2013 से 12 फरवरी 2014 तक निलंबित कर दिया गया था। डीलर ने, तथापि, वर्ष 2013-14 की अवधि के दौरान ₹40.09 लाख के इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा किया जिसमें ₹30.76 लाख की राशि उस अवधि से संबंधित शामिल है जिसमें डीलर का पंजीकरण निलंबनाधीन था और निर्धारण प्राधिकारी द्वारा लेखांकन वर्ष 2013-14 हेतु डीलर का आंकलन (मार्च 2017) करते समय उक्त राशि को अनुमति प्रदान की गई थी। इस प्रकार, इनपुट टैक्स क्रेडिट की अनुमति नहीं देने की विफलता का परिणाम ₹1.21 करोड़<sup>18</sup> की कम मांग के रूप में हुआ।

<sup>17</sup> डिब्बाबंद दूध, घी इत्यादि में डीलिंग।

<sup>18</sup> कर: ₹30.76 लाख; ब्याज: ₹28.35 लाख; जुर्माना: ₹61.53 लाख।

इसे इंगित (अगस्त 2017) किए जाने पर निर्धारण प्राधिकारी ने लेखांकन वर्ष 2013-14 हेतु डीलर का पुनर्मूल्यांकन (अक्टूबर 2018) किया तथा ₹1.29 करोड़<sup>19</sup> की मांग उठाई। हालांकि, वसूली की प्रास्थिति प्रतीक्षित (सितंबर 2020) थी।

मामला जून 2019 में सरकार/ विभाग को भेजा गया था, जवाब प्रतीक्षित (जुलाई 2020) था।

II. वाणिज्यिक कर सर्किल 'एल' जम्मू के अभिलेखों की संवीक्षा (सितंबर 2018) से पता चला कि वर्ष 2013-14 की चौथी तिमाही हेतु तिमाही रिटर्न को फाइल नहीं करने के कारण, एक डीलर<sup>20</sup> का पंजीकरण प्रमाण-पत्र 23 जून 2014 को निलंबित कर दिया गया था जिसे मई 2015 तक पुनः स्थापित नहीं किया गया था। उसके पंजीकरण की निलंबन अवधि के दौरान, डीलर अधिनियम की धारा 21 के तहत इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ लेने हेतु हकदार नहीं था। तथापि, डीलर द्वारा 23 जून 2014 से 31 मार्च 2015 के दौरान की गई ₹26.92 लाख की खरीदों पर ₹1.37 लाख के इनपुट टैक्स क्रेडिट के दावे को निर्धारण प्राधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 39(5) के अंतर्गत लेखांकन वर्ष 2014-15 के लिए कर हेतु डीलर का आंकलन (मार्च 2018) करते समय अनुमति प्रदान की गई थी। इस प्रकार, इनपुट टैक्स क्रेडिट की अनुमति नहीं देने की विफलता का परिणाम कर, ब्याज और जुर्माने के प्रति ₹5.35 लाख<sup>21</sup> की कम मांग के रूप में हुआ।

इसे इंगित (सितंबर 2018) किए जाने पर, निर्धारण प्राधिकारी ने लेखांकन वर्ष 2014-15 हेतु डीलर का पुनर्मूल्यांकन (सितंबर 2019) किया तथा ₹5.59 लाख<sup>22</sup> की मांग उठाई।

मामला दिसंबर 2019 में सरकार/ विभाग को भेजा गया था। उपायुक्त राज्य कर (न्यायिक) ने कहा (फरवरी 2020) कि भुगतान करने के लिए डीलर की ओर से अनुपालन नहीं करने की दृष्टि से, निर्धारण प्राधिकारी ने बकाया को उपायुक्त राज्य कर (वसूली) को भेजा (दिसंबर 2019) और भू-राजस्व अधिनियम के तहत वसूली की कार्यवाही आरंभ कर दी गई है।

सरकार का जवाब प्रतीक्षित (सितंबर 2020) था।

<sup>19</sup> कर: ₹30.76 लाख; ब्याज: ₹36.95 लाख; जुर्माना: ₹61.53 लाख।

<sup>20</sup> औषधि और प्रसाधन की बिक्री/ खरीद में डीलिंग।

<sup>21</sup> कर: ₹1.38 लाख; ब्याज: ₹1.22 लाख; जुर्माना: ₹2.75 लाख।

<sup>22</sup> कर: ₹1.38 लाख; ब्याज: ₹1.46 लाख; जुर्माना: ₹2.75 लाख।

#### 4.7 इनपुट टैक्स क्रेडिट का अनियमित लाभ लेने के कारण कम मांग

एक डीलर द्वारा फाइल किए गए रिटर्न का सही प्रकार से सत्यापन करने तथा समाप्त समयावधि/ लौटाई गई वस्तुओं पर दावा किए गए अनियमित इनपुट टैक्स क्रेडिट की अनुमति नहीं देने में निर्धारण प्राधिकारी की विफलता का परिणाम ₹16.04 लाख की कम मांग के रूप में हुआ।

जम्मू एवं कश्मीर मूल्य वर्धित कर (जेकेवीएटी) अधिनियम, 2005 की धारा 35 (1) यह उपबंध करती है कि डीलरों द्वारा फाइल किए गए सभी रिटर्नों की निर्धारण प्राधिकारी द्वारा गणनाओं की उपयुक्तता का सत्यापन करने, कर/ ब्याज की सही दर लगाने तथा दावा किए गए इनपुट टैक्स क्रेडिट की संवीक्षा की जाएगी। इसके अतिरिक्त, जेकेवीएटी अधिनियम, 2005 की धारा 14 उपबंध करती है कि कोई डीलर जो अपने व्यापार के दौरान एक पंजीकृत डीलर से, ऐसी परिस्थितियाँ, जिसमें ऐसी वस्तुओं के या किसी अन्य व्यक्ति से बिक्री मूल्य पर उस पंजीकृत डीलर द्वारा कर देय नहीं है, कोई कराधान योग्य माल खरीदता है, तो डीलर ऐसी वस्तुओं के खरीद मूल्य पर कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा, यदि ऐसी खरीद के पश्चात् माल राज्य में नहीं बेचा जाता है या अंतरराज्यीय व्यापार और वाणिज्य के दौरान बेचा जाता है या भारत प्रदेश के बाहर निर्यात किया जाता है। जेके वीएटी अधिनियम, 2005 यह भी उपबंध करता है कि कर के भुगतान पर खरीदे गए माल के संबंध में एक पंजीकृत डीलर को कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) का दावा करने या इसकी अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी, यदि ऐसा माल किसी चोरी के कारण या उसके नष्ट होने के कारण नहीं बेचा जाता है।

जेकेवीएटी अधिनियम, 2005 चोरी के कारण लुप्त या अन्य कारणों से नष्ट हुई वस्तुओं के संबंध में प्राप्त किए गए टैक्स क्रेडिट के विपर्यय हेतु उपबंध करता है। जेकेवीएटी अधिनियम की धारा 37 से 40 के अधीन किए जाने वाले भुगतान में त्रुटि के लिए, डीलर इस प्रकार की राशि पर दो प्रतिशत प्रतिमाह की दर से ब्याज के भुगतान के लिए उत्तरदायी होता है।

राज्य कर सर्किल अनंतनाग I के अभिलेखों की संवीक्षा (दिसंबर 2018) से पता चला कि एक डीलर ने वर्ष 2013-14 हेतु एक स्व-मूल्यांकन रिटर्न फाइल किया था जिसे निर्धारण प्राधिकारी द्वारा स्वीकार कर लिया गया था। डीलर ने ₹245.95 लाख की स्थानीय खरीद करने का दावा किया। उसकी ₹250.82 लाख<sup>23</sup> की बिक्रियों पर ₹20.60 लाख की कर देयता, ₹12.30 लाख के इनपुट टैक्स क्रेडिट और ₹8.30 लाख के कर भुगतान का लाभ लेने के कारण थी। तथापि, डीलर द्वारा फाइल किए गए

<sup>23</sup> 5 प्रतिशत की दर पर कर योग्य ₹156.04 लाख और 13.50 प्रतिशत की दर पर कर योग्य ₹94.78 लाख।

व्यापार लेखा के अनुसार, ₹86.63 लाख<sup>24</sup> के मूल्य की समाप्त समयावधि/ लौटाया गया माल खरीद से घटा दिया गया था जिसके लिए वह ₹8.53 लाख के इनपुट टैक्स क्रेडिट के दावे का हकदार नहीं था। निर्धारण प्राधिकारी रिटर्न स्वीकार करते समय डीलर द्वारा प्राप्त किए गए इनपुट टैक्स क्रेडिट की अनुमति नहीं देने और इसका सत्यापन करने में असफल रहा जिसका परिणाम कर और ब्याज को शामिल करते हुए ₹16.04 लाख<sup>25</sup> की कम मांग के रूप में हुआ।

इसे इंगित किए जाने पर, निर्धारण प्राधिकारी ने जेकेवीएटी अधिनियम, 2005 की धारा 42 के अंतर्गत लेखांकन वर्ष 2013-14 हेतु डीलर का पुनर्मूल्यांकन (मई 2019) किया तथा ₹19.11 लाख<sup>26</sup> की मांग उठाई। तथापि, वसूली की प्रास्थिति प्रतीक्षित (सितंबर 2020) थी।

यह मामला सरकार/ विभाग को अप्रैल 2020 में भेजा गया, जवाब अभी प्रतीक्षित (सितंबर 2020) था।

## राजस्व विभाग

### 4.8 सरकारी धन का दुर्विनियोजन

तहसीलदार, कठुआ सरकारी राजस्वों को संभालने संबंधी निर्धारित नियमों का कार्यान्वयन करने में विफल रहा तथा लेखापरीक्षा को भी गलत सूचना उपलब्ध कराई जिसने ₹16.81 लाख की राजस्व प्राप्तियों का दुर्विनियोजन सुकर बनाया।

जम्मू एवं कश्मीर वित्तीय संहिता (जेकेएफसी) खण्ड-I के नियम 2-1 से 2-15 रोकड़ और लेखे, सरकारी धन की प्राप्ति, इसकी अभिरक्षा व कोषागार में भुगतान तथा लेखाओं की रोकड़ बही के अनुरक्षण से संबंधित कर्तव्यों के संबंध में सामान्य सिद्धांत निर्धारित करते हैं। जेकेएफसी का नियम 2-4(1) उपबंध करता है कि सरकार की ओर से धन प्राप्त करने वाले अधिकारी को प्राधिकृत अधिकारी, जो पावती पर हस्ताक्षर तथा इसके प्रतिपण पर आद्याक्षर करते समय संतुष्ट होगा कि राशि उचित प्रकार से रोकड़ बही में प्रविष्ट हो गई है, द्वारा विधिवत् हस्ताक्षरित एफसी-1 फॉर्म में भुगतानकर्ता को पावती देनी है।

<sup>24</sup> ₹1.86 लाख के आईटीसी को शामिल करते हुए 5 प्रतिशत की दर पर ₹37.19 लाख के मूल्य की कर योग्य खरीद एवं ₹6.67 लाख के आईटीसी को सम्मिलित करते हुए 13.5 प्रतिशत की दर पर ₹49.44 लाख के मूल्य की कर योग्य खरीद।

<sup>25</sup> कर: ₹8.53 लाख; ब्याज ₹7.51 लाख।

<sup>26</sup> कर: ₹8.53 लाख; ब्याज ₹10.58 लाख।

तहसीलदार, कठुआ के अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा (सितंबर 2017) से सरकारी कोषागार में राजस्व के संग्रहण एवं प्रेषण से संबंधित अभिलेखों के अनुरक्षण में कुछ विसंगतियाँ सामने आईं। सरकार की ओर से प्राप्त धन<sup>27</sup>, रोकड बही या राजस्व रजिस्टर में प्रविष्टि के माध्यम से संचालित नहीं हुआ, नकद प्राप्तियाँ निर्धारित प्रपत्रों (एफसी-1) में प्रस्तुत नहीं की गयी थी और राजस्व प्रेषण रजिस्टर का अनुरक्षण नहीं किया गया था। लेखापरीक्षा ने ₹5.66 लाख राजस्व का कम/ गैर-प्रेषण और सरकारी कोषागार में राजस्व के प्रेषण में दो से नौ माह के बीच की देरी के उदाहरण पाए।

लेखापरीक्षा में (सितंबर 2017) इंगित किए जाने के बावजूद, अनियमितता के कारणों को नहीं जांचा गया (सितंबर 2019) तथा आवश्यक सुधारात्मक उपाय नहीं किए गए। तथापि, तहसीलदार, कठुआ ने (जुलाई 2018) सूचित किया कि स्टाफ की कमी के कारण, कोषागार में प्रेषण नहीं किया जा सका और कहा कि पूरा राजस्व तत्पश्चात् कोषागार में प्रेषित कर दिया गया था।

मामला विभाग के साथ पुनः उठाया गया (फरवरी 2019) और तहसीलदार, कठुआ ने वर्ष 2015-16 से 2018-19 के दौरान संग्रहित एवं प्रेषित राजस्व का विवरण उपलब्ध कराया (अप्रैल/ जुलाई 2019), जिसने ₹16.81 लाख के अल्प प्रेषण को दर्शाया, क्योंकि ₹65.99 लाख<sup>28</sup> के कुल राजस्व संग्रहण में से केवल ₹49.18 लाख<sup>29</sup> ही कोषागार में प्रेषित किया गया था। तहसीलदार, कठुआ ने यह भी कहा (अक्टूबर 2019) कि राजस्व का गैर-प्रेषण उसके कार्यभार ग्रहण करने से बहुत पहले की अवधि से संबंधित था और कर्मचारी जो उस समय *नजीर*<sup>30</sup> का कार्यभार संभालता था उसका 30 नवंबर 2018 को सेवा में रहते हुए देहांत हो गया। इसके बावजूद, यह भी कहा गया कि सिस्टम में विद्यमान खामियों को दूर कर लिया गया है तथा स्वर्गवासी व्यक्ति (*नजीर*) के परिवार के सेवानिवृत्ति लाभों से राशि को वसूल करने के प्रयास किए जाएंगे। यह भी कहा गया (अगस्त 2019) कि भविष्य में एफसी-1 पर अदायगी पावती और एफसी-2 में ट्रेजरी चालान आहरण एवं संवितरण अधिकारी के हस्ताक्षरों के अधीन जारी/ प्रस्तुत किए जाएंगे। उपायुक्त, कठुआ ने

<sup>27</sup> आय प्रमाण-पत्रों, उत्तराधिकार/ फर्द/ खसरा गिरदावरी, जमाबंदी, स्थायी निवास प्रमाण-पत्र की प्रतियाँ इत्यादि को जारी करने के लिए।

<sup>28</sup> 2016-17: ₹23.34 लाख; 2017-18: ₹21.51 लाख; 2018-19: ₹21.14 लाख।

<sup>29</sup> 2016-17: ₹19.71 लाख; 2017-18: ₹17.57 लाख; 2018-19: ₹11.90 लाख।

<sup>30</sup> रोकड़िया।

कहा (अगस्त 2020) कि तहसीलदार कठुआ द्वारा दिवंगत कर्मचारी की पत्नी को स्वीकार्य मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति उपादान से ₹9.41 लाख वसूली की गई और शेष राशि की वसूली ₹10,000 प्रति माह की दर से परिवार पेन्शन से की जाएगी।

जवाब का अवलोकन इस तथ्य से किया जा सकता है कि तहसीलदार, कठुआ सरकारी राजस्वों को संभालने संबंधी निर्धारित नियमों का पालन करने में विफल रहा तथा लेखापरीक्षा को भी गलत सूचना (जुलाई 2018) उपलब्ध कराई जिसने ₹16.81 लाख की राजस्व प्राप्तियों का दुर्विनियोजन सुकर बनाया।

यह मामला अप्रैल 2020 में सरकार/ विभाग को भेजा गया, उनके जवाब प्रतीक्षित (सितंबर 2020) थे।

**विभाग एक प्रणाली विशेषतः सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम प्रणाली यह सुनिश्चित करने के लिए स्थापित कर सकता है कि सरकारी प्राप्तियों को लेखाबद्ध कर लिया गया है और निधियों के दुर्विनियोजन को रोकने के लिए अविलंब रूप से जमा करा दिया गया है। इसके अतिरिक्त, व्यपगमन हेतु कारणों की जांच की जानी चाहिए और यदि आवश्यक हो तो उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाना चाहिए।**